

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 69/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

किशनाराम वगैरा बनाम बालाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक – 12/05/2023

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र भुणिया भू.अ.नि. क्षेत्र भूणिया के मौजा कायम का तला के खेत खसरा संख्या 749/624 रकबा 5.6818 हैक्टर व खसरा संख्या 750/624 रकबा 5.8275 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र भुणिया भू.अ.नि. क्षेत्र भूणिया के मौजा कायम का तला के खेत खसरा संख्या 749/624 रकबा 5.6818 हैक्टर व खसरा संख्या 750/624 रकबा 5.8275 हैक्टर की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/05/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किशनाराम पुत्र पुरखाराम 2. बाबुलाल पुत्र नरसिंगाराम 3. बिरबलराम पुत्र नरसिंगाराम 4. मालाराम पुत्र नरसिंगाराम 5. मोहनलाल पुत्र नरसिंगाराम 6. चनणी पत्नि नरसिंगाराम जाति-विश्वनोई, निवासी- कायम का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर। 	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बालाराम पुत्र राजूराम 2. किशनाराम पुत्र राजूराम 3. सोनाराम पुत्र भाखराराम, जाति-विश्वनोई, निवासी-कायम का तला 4. अब्दुला पुत्र सकीलस 5. गफुर पुत्र पिराणा 6. मोहम्मद पुत्र पिराणा 7. सकुर पुत्र पिराणा 8. विलालखां पुत्र वाईदखां जाति-मुसलमान, निवासीगण-कायम का तला 9. राज्य सरकार तहसीलदार धनाऊ
---	-------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 69/2023

दिनांक : 12/05/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र भुणिया भू.अ.नि. क्षेत्र भुणिया के मौजा कायम का तला के खेत खसरा संख्या 749/624 रकबा 5.6818 हैक्टर व खसरा संख्या 750/624 रकबा 5.8275 हैक्टर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 798-805
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार धनाऊ।
2. प्रार्थी किशनाराम पुत्र पुरखा वगैरा।
3. विप्रार्थीगण बालाराम पुत्र राजूराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

दिनांक 12/05/23

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा